ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-5* Issue-10* January-2021
Anthology : The Research

घरेलू हिंसा का वर्तमान परिदृश्य
Current Scenario of Domestic Violence

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

गुरनाम सिंह
प्रोफेसर,
समाज कार्य विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उ०प्र० भारत

रूपांजना वर्मा
प्रवक्ता,
समाज कार्य विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उ०प्र० भारत

सारांश

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा ऐसी सार्वभौमिक घटना है जो धर्म, वर्ग, जाति, संस्कृति, देश, शिक्षा तथा उम्र आदि की सीमा से परे है। यह हर जगह यथा परिवार के भीतर, समुदाय में, कार्य स्थल पर आदि कहीं भी घटित हो सकती है। इसका स्वरूप कुछ भी हो सकता है जैसे–शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यौनिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि जिसका न केवल महिला बल्कि उनके बच्चों, परिवार एवं समुदायों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है क्योंकि परिवार को आकार भी एक स्त्री ही देती है। हिंसा से पीड़ित महिलाएं न केवल जीवन भर दुःखद संवेगों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, खराब स्वास्थ्य, हीन भावना आदि से ग्रसित रहती हैं अपितु उनके समस्त मानवीय अधिकारों का भी हनन होता है। प्रस्तुत अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं के साथ हो रही हिंसा विशेषकर घरेलू हिंसा के वर्तमान परिदृश्य को सामने लाने के साथ ही उसके बदलते स्वरूप, आंकड़ों एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों को पाठको के समक्ष लाने का प्रयत्न करना है।

Violence against women is such a universal phenomenon that goes beyond the limits of religion, class, caste, culture, country, education and age etc. This can happen everywhere, such as within the family, in the community, at work, etc. Its form can be anything like - physical, mental, emotional, sexual, economic, social etc. which not only affects the woman but also their children, family and communities because a woman also gives shape to the family. Women suffering from violence not only suffer from painful emotions throughout their life, mental health problems, poor health, inferiority complex etc. but also all their human rights are violated. The current study is based on secondary data. The aim of the study is to bring out the current scenario of violence against women, especially domestic violence, as well as try to bring its changing form, figures and related legal provisions to the readers.

मुख्य शब्द : महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, कानूनी प्रावधान, रूढ़ियां।
Women, Violence, Domestic Violence, Harassment, Legal Provisions, Stereotypes.

प्रस्तावना

महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा वर्तमान समय में कोई नई समस्या नही है। आज धीरे–धीरे महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण सहयोगी भी माना जाने लगा है किन्तु पितृसत्तात्मक विचारधारा, रूढ़ियों एवं संस्थागत रिवाजों, कुप्रथाओं आदि ने उनके उत्पीड़न में अत्यधिक योगदान दिया है। संविधान में उन्हें संरक्षण प्रदान करनें हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं किन्तु कभी महिलाओं की अज्ञानता तो कभी उनका कड़ाई से पालन न होने के कारण वे मूर्त रूप में लैंगिक समानता की संकल्पना को बल नही दे पा रहें हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो महिलाओं के साथ घरों में होने वाली हिंसा सार्वभौमिक है। प्रारम्भ से ही हमारे देश में महिलाएं यातना, दुर्व्यवहार, शोषण, अवमानना आदि का शिकार बनती आयी है। घरेलू हिंसा, लिंग आधारित हिंसा, लैंगिक समानता इत्यादि आज ज्वलंत मुद्दे हैं। किन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि आज भी शारीरिक हिंसा, यौनिक हिंसा, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण तथा शादी के पश्चात पति एवं सास–ससुर द्वारा दहेज के नाम पर किया जानें वाला शोषण, मारपीट जैसी गम्भीर समस्याएं हमारे देश में बनी हुयी हैं।

कहने को तो हमारे देश में वर्ष 1931 के बाद से साक्षरता दर 13 प्रतिशतसे बढ़कर वर्ष 2011 में 72 प्रतिशत हो गयी है किन्तु लैंगिक आधार पर होने वाला भेदभाव, घरेलू हिंसा इत्यादि आज भी हमारे देश में जस की तस बनी हुयी है। निर्भया, कठुआ, गौरी जैसे हत्याकाण्ड आज भी हमारे देश को शर्मशार करतें हैं। वयस्क महिलाओं के साथ–साथ 5–6 माह तक की बच्चियां भी कुत्सित मानसिकताओं का शिकार बनती है। राष्ट्रीय स्तर पर तकरीबन 70 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा की पीड़ित हैं जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा लगभग 40प्रतिशत है। बडोदरा की एक संस्था 'सहज' द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 'एक ओर तो भारत में आर्थिक विकास की दर अच्छी है वही दूसरी ओर वह जाति, वर्ग व लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना कर रहे लोगो के लिए समान विकास हासिल करनें में बहुत पीछे है।' सहज संस्था की ही रिपोर्ट के अनुसार 'भारत में विवाहित महिलाओं में से तकरीबन एक तिहाई महिलाएं अपने पति के हाथों हिंसा का शिकार होती हैं।' एन.एफ.एच.एस.–4 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में प्रत्येक तीसरी महिला ने 15 वर्ष की आयु से ही किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का सामना किया है। सर्वेक्षण में शामिल 31प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उनके साथ हुए शारीरिक, यौनिक एवं मानसिक हिंसा के अपराध उनके ही पति द्वारा किए कए थे। 83 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि उनके वर्तमान पति भी हिंसा के आरोपी है। किन्तु विचारणीय तथ्य यह है कि महज 14प्रतिशतमहिलाओं ने ही अपने साथ हो रही हिंसा के लिए कानूनी मदद मांगी।

घरेलू हिंसा कानून लागू होने से पहले यह सार्वजनिक तौर पर माना ही नहीं जाता था कि घरों में भी महिलाओं के प्रति हिंसा होती है और इसका सबसे ज्यादा शिकार विवाहित और अविवाहित महिलायें ही होती हैं। 26 अक्टूबर 2006 को जब से घरेलू हिंसा से संबंधित कानून लागू हुआ तब जाकर कही विभिन्न शोधों के माध्यम से लगातार इससे संबंधित तथ्यों का एकत्रीकरण एवं आंकलन व्यापक स्तर पर किया जानेलगा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक(1975–85) के दौरान एक विशिष्ट पहचान मिली थी।सन् 1979 में यू.एन.ओ. द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया था। 8 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी आयोजन किया जाता है। किन्तु विचारणीय बात यह है कि महिलाओं को मिलने वाला सम्मान क्या महज एक दिन तक ही सीमित होना चाहिए? जिससे 24 घण्टे सदैव सेवा में तत्पर रहनें वाली तथाकथित घरेलू महिला आज भी अनजान है।

भारत समेत विश्व के अधिकतर देश पुरूष प्रधानसमाज हैं। ऐसे समाज मे महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया गया है। वहां सत्ता के साथ ही निर्णय का प्रथम/अन्तिम अधिकार भी पुरूषों के ही हाथों में होता है। इसी वजह सेपितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के प्रति अपराध, उपेक्षा वशोषण करने की भावना काफी बलवती रहती है। घरेलू हिंसा अधिनियम,2005 भारत का प्रथम ऐसा क़ानून है जो भारतीय महिलाओं को अपने घर में सम्मानजनक तथा गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। मोरिसन एवं ओरलेंडो के एक शोध के अनुसार विकासशील देशों में महिलाओं के साथ हुई हिंसा में कैंसर, मलेरिया, ट्रैफिक एक्सीडेंट और युद्ध में हुई मौतों के मुकाबले ज्यादा मौत होती हैं और विडम्बना यह है कि ऐसे अधिकतर मामलों में घरेलू हिंसा से हुयी मौतों को घरवालों द्वारा आकस्मिक दुर्घटना का रूप दे दिया जाता है।

घरेलू हिंसा के प्रकार

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत की हिंसा को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गयाहै –

शारीरिक हिंसा

इसके अतंर्गत महिला से मारपीट करना, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दांत से काटना, लात या मुक्का मारना, धकेलना या अन्य किसी रीति से शारीरिक पीड़ा या हानि पहुँचाना इत्यादि शामिल है।

लैंगिक हिंसा

इसके अंतर्गत बलात लैंगिक मैथुन, अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों/चलचित्रों को देखने को विवश करना, दुर्व्यवहार करना, लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य अस्वीकार्य कार्य इत्यादि सम्मिलित है।

मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा

अपमान करना, गालियां देना, चरित्र एवं आचरण पर दोषारोपण, पुत्र न होने पर अपमानित करना, दहेज इत्यादि ना लाने पर अपमान करना, नौकरी छोडनें हेतु दबाव डालना, पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से अथवा मिलनें से रोकना, आत्महत्या की धमकी देना अथवा कोई अन्य मौखिक अथवा भावनात्मक दुर्व्यवहार आदि शामिल है।

आर्थिक हिंसा

इसके अंतर्गत महिला की आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, खर्च न देना, बच्चोंका पालन पोषण न करना, आर्थिक अधिकारों से वंचित रखना, रोजगार करनें या चलानें से रोकना, घर छोड़ने को विवश करना, अपने वेतन को स्वयं की इच्छा से प्रयोग न करने देना इत्यादि सम्मिलित है।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवीय अधिकारों के गंभीर हनन के रूप में स्वीकृत किया गया है। समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच असमान शक्ति वितरण के परिणामस्वरूप लिंग आधारित हिंसा का उद्भव होता है। वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनेक प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं जैसे शारीरिक हिंसा, यौनिक हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं का अनैतिक व्यापार आदि के साथ–साथ महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा घर के गोपनीय वातावरण में भी होती है। जिसके कारण घरेलू हिंसा से संबंधित जितने भी आँकड़े प्राप्त होते हैं उनकी स्थिति वास्तविकता में उससे भी अधिक दयनीय है। वैश्विक दृष्टि से यह पाया गया है कि प्रत्येक 03 औरतों मेंसे एक अपने जीवन काल में अपने किसी परिचित अथवा सगे–संबंधी द्वारा हिंसा का शिकार बनती है।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के साथ हो रही हिंसा विशेषकर घरेलू हिंसा के वर्तमान परिदृश्य को सामने लाने के साथ ही उसके बदलते स्वरूप, आंकड़ों एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना साथ ही साथ समाज में घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाना है।

संबंधित आंकड़े

महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध'वे अपराध हैं जिनके निशाने पर सिर्फ महिलाएं ही हो सकती है' चाहे वह बालिग/नाबालिग हों या विवाहित/अविवाहित हों। आई.पी.सी. के अंतर्गत आने वाले अपराधों मेंबलात्कार, अपहरण, दहेज के लिए हत्या, मानसिक/शारीरिक उत्पीड़न, महिला के शीलभंग के लिए उसपर हमला करना, 18 साल से कम उम्र की विदेशी लड़कियों को भारत लाना, मानव तस्करी करना इत्यादि सम्मिलित है।

एन.सी.आर.बी. द्वारा 2013 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति

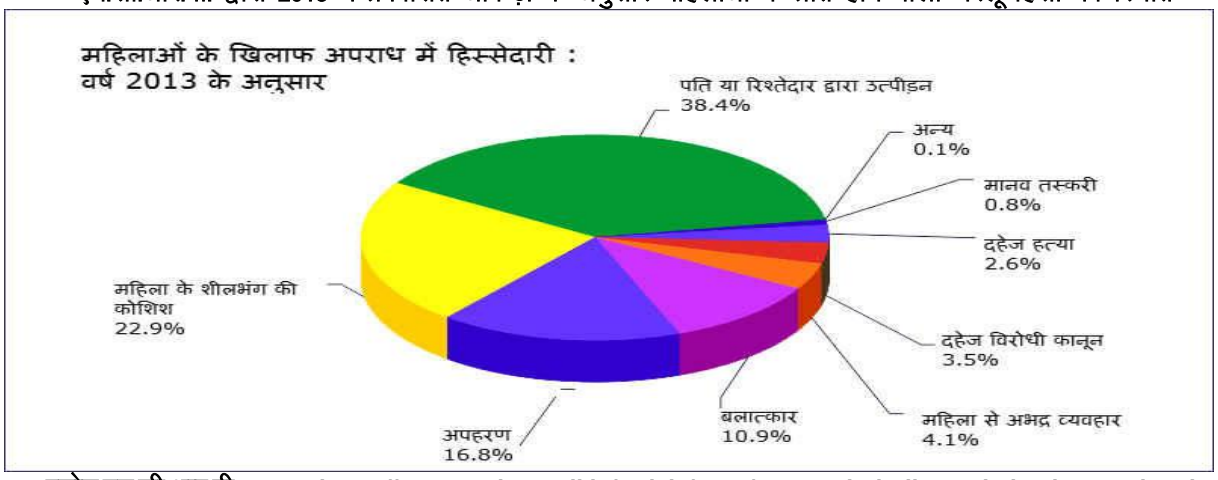

स्त्रोतःएन.सी.आर.बी. 2013–https://satyagrah.scroll.in/article/5106/women-in-india-statistics-international-womens-day

1. एन.एफ.एच.एस.–4 के आंकड़ों का अध्ययन करते हुए वडोदरा की एक संस्था 'सहज' ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि 15 से 49 साल के आयु वर्ग की महिलाओं में से करीब 27प्रतिशत ने 15 साल की उम्र से ही हिंसा बर्दाश्त की है।
2. रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी अभिनव पहल के बाद भी पितृसत्तात्मक रवैया महिलाओं के सामाजिक दर्जे को लगातार कमतर कर रहा है। इसका नतीजा लड़कियों के कमजोर स्वास्थ्य, उनकी मृत्यु के मामलों से लेकर जन्म के समय यौन अनुपात बिगड़ने के रूप में सामने आता है।'
3. एन.सी.आर.बी. की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2016 में केंद्रशासित और राज्यों को मिलाकर कुल 41,761 मामले दर्ज हुए। जिसमें 12,218 मामलों में महिलाओं पर हुयी हिंसा उनके पति/रिश्तेदारों द्वारा की गयी है व 10,458 मामले उनका शोषण तथा शीलभंग से संबंधित हैं।

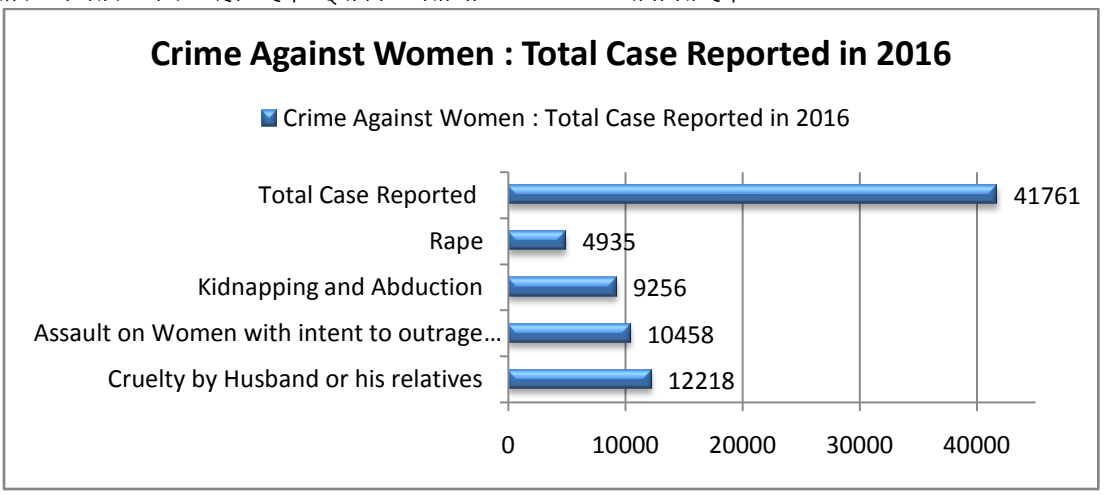

4. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा वाशिंगटन स्थित संस्था 'आई.सी.आर.डब्ल्यु' से उजागर हुआ है कि भारत में 10 में से 6 पुरुषों ने कभी न कभी अपनी पत्नी/प्रेमिका के साथ हिंसक व्यवहार किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसक प्रवृत्ति उनलोगों में ज्यादा है जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 52प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि उन्हें किसी न किसी तरह हिंसा का सामना करना पड़ा है। इसी तरह 38प्रतिशत महिलाओं ने पिटाई, थप्पड़ मारे जाने तथा जलाने जैसे शारीरिक उत्पीड़नों का सामना करने की बात स्वीकार की है।

भारत में महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा से संरक्षण हेतु बनाए गए कानून

वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाए धरा से अंतरिक्ष तक भी पहुँच गयी हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे कुछ नाम आज भी एक अमिट पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में यहां तक कि उनके अपने घरों में महिलाओं की स्थिति बेहद विचारणीयहै। इसलिए महिलाओं को समाज में सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) दहेज निषेध अधिनियम (1961) हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) जैसे विविध कानून भी बनाये हैं। कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए बनाये गए कानून इस प्रकार है–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948)

यह अधिनियम पुरुष व महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव/उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव की अनुमति नहीं देता है।

खान अधिनियम (1952) और कारखाना अधिनियम (1948)

इन दोनों ही अधिनियमों में यह प्रावधान है कि महिलाओं को सायं 7:00 से बजे लेकर प्रातः 6:00 बजे के मध्य काम पर नही लगाया जा सकता है। इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा, सुविधा व कल्याण का पूर्ण ध्यान रखना भी अनिवार्य है।

हिंदू विवाह अधिनियम (1955)

इस अधिनियमके द्वारा एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को तलाक और विवाह के सम्बन्ध में सामान अधिकार दिए गए हैं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)

इस अधिनियम में माता.पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी सामान अधिकार दिए हैं अर्थात यदि लड़की चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में समान हक़ प्राप्त कर सकती है।

अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956)

इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम के प्रावधान हैं। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उददेश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया है।

दहेज निषेध अधिनियम (1961)

इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या उसके बाद में महिलाओं से दहेज़ लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

मातृत्व लाभ अधिनियम (2017)

यह अधिनियम महिलाओं को 26 सप्ताहतक वैतनिक मातृत्व लाभ अवकाशप्रदान करता है जो पूर्व के मातृत्व लाभ अवकाश, 1961 के अनुसार 12 सप्ताह था। इस अधिनियम के अनुसार गर्भवती महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है।

गर्भावस्था अधिनियम (1971)

के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी गंभीर बीमारी की दशा में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गयी है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)

यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान स्थिति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है।

सती (रोकथाम) अधिनियम (1987)

यह अधिनियम सती प्रथा या पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता में जलाने का देश के किसी भी भाग में प्रचलन या उसके महिमामंडन को अपराध घोषित करता है। किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नही किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990)

सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया था।

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)

इसके द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा, शारीरिक, यौनिक, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार की शिकार हो चुकी हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रहीं हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम) निषेध और निवारण अधिनियम (2013)

इस अधिनियम में सार्वजनिक व निजी संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को लैंगिकउत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।

घरेलू हिंसा के निराकरण हेतु सुझाव

भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था घरेलू हिंसा का एक महत्वपूर्ण कारण है। अतः महिलाओं के प्रति दोयम दृष्टिकोण को बदलने और परम्परगत सोच में बदलावकी आवश्यकता है। महिलाएं सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से इस प्रकार की घटनाओं की शिकायतें बाहर नहीं करती हैं जिससे हिंसा करने वालों के इरादे मजबूत हो जाते हैं और घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होती है। घरेलू हिंसा के मामलों को

रोकने के लिए घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम भी लागू किया गया ,परन्तु उसके सुचारू रूप से क्रियान्वयन न होने के कारण उसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। अतएव इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है उसी संदर्भ में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

1. पारिवारिक स्तर पर घरेलू हिंसा निवारण हेतु पहल की जानी चाहिए। माता–पिता को लड़के लड़कियों के पालन पोषण में कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर एवं शिक्षिका उसकी मां ही होती है। इसलिए माताओं को चाहिए कि लड़कियों को मजबूत बनायें और लड़कों को संवेदनशील बनाने के साथ ही लड़कोंको भी घर के कार्यों की शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह किसी भी लड़की/महिला पर हिंसा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार समान पालन–पोषण से लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है।
2. पारिवारिक स्तर पर ऐसे नियम बनाया जाए कि परिवार का कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य पर शारीरिक या किसी अन्य प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार न करेतथा सभी समस्याओंका हल बातचीत के माध्यम से किया जाए ताकि हिंसा की घटनाओं को घटित होने से रोका जा सके।
3. लोगों को अपने परिवारों एवं समुदायों में बेटियों का मूल्य समझना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या तथा दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध करना चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिवार में बेटियों को बेटों के समान भोजन, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधामिले। बेटियों को भी संपत्ति में बराबर अधिकार देना चाहिए ताकि उन्हें दूसरों पर आश्रित न होना पड़े और उनमें आत्मविश्वास की भावना आ सके।
4. महिलाओं के प्रति, घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा संस्थानों की भूमिका अहम् होनी चाहिए। शिक्षा संस्थाओं द्वारा ऐसे नागरिकों कानिर्माण करना चाहिए जो समाज में हो रहे महिला उत्पीड़न का विरोध कर सकें। स्त्री शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए तथा छात्राओं के साथ–साथ छात्रों की भी काउंसलिंग की जानी चाहिए।
5. बाल विवाह की प्रथा को रोककर उसकी जगह उन्हें शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना चाहिए क्योंकि शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति यदि स्वयं जागरूक होंगी और अपने खिलाफ होने वालेअन्याय के विरूद्ध आवाज उठा सकेंगी तब घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को रोका जा सकेगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता से आत्मविश्वास कीभावना बढ़ेगी।
6. घरेलू हिंसा के प्रमुख कारणों में दहेज़ भी शामिल है। अतएव दहेज़ लेने और देने दोनों से ही परहेज करना चाहिए।
7. जागरूकता फैलानें हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा घरेलू हिंसा सम्बन्धी विचारों को सेमिनार, वर्कशॉप और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से तथा पम्पलेट के रूप में जनसाधारण में वितरित कियाजाना चाहिए ताकि व्यापक तौर पर जागरूकता लायी जा सके और निरंतर विचार विमर्श एवं जागरूकता फ़ैलाने से संकुचित मानसिकता और पुरुषों के रवैये में बदलाव लाया जा सके।
8. महिलाओं के प्रति होने वालीघरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए रैलियों का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, पत्रकारों, महिलाओं, कानूनविदों के साथ सरकारीकर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल करके संवेदीकरण की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए।
9. किसी भी कानून पर जमीनी स्तर पर अमल करना चाहिए। इस हेतु सरकार को सामाजिक प्रशिक्षण का ऐसाढांचा तैयार करना चाहिए जिससे महिलायें अपने सम्मान/गरिमा और अधिकारों के प्रति जागरूक हों सकें तथा पितृसत्तात्मक मूल्यों से मुक्त हो सके।
10. निर्णायक की भूमिका में रहने वाले राजनीतिज्ञों, न्यायाधीशों एवं ग्राम/खाप पंचायत के प्रतिनिधियों को घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए ताकि वे अपने–अपने प्रभावक्षेत्र में घरेलू हिंसा पर रोक लगा सकें।
11. उचित विधि निर्माण के साथ–साथ उसके क्रियान्वयन की उचित नीतियों और दिशा निर्देशों को भी प्रभावी बनाना चाहिए।
12. महिलाओं को उनके अधिकारों प्रति जागरूक करनें के साथ ही उनके सशक्तिकरण हेतु बनाये गए कानूनों के प्रति जागरूक करने हेतु अख़बार, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि की उपयुक्त मदद ली जानी चाहिए।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि हमारा समाज चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए किंतु अगर महिलाओं के प्रति पुरूष प्रधान विचारधारा मेंयदि समुचित सकारात्मक परिवर्तन नहीं आएंगें तो लैंगिक हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे अभिशाप से मुक्त हो पाना महिलाओं के लिए इतना आसान नही होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *रश्मि दीक्षित, लखनऊ विश्वविद्यालय, "लखनऊ शहर में लड़कियों एवं महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन"*
2. *घरेलू हिंसा से संबंधित लेख, हेस, एल्स्बर्ग एवं गोटेमोलर, 1999 डब्ल्यू0एच0ओ0 2002 Retrieved from https://www.ichowk.in/society/international-women-day-india-crime-against-women-gender-discrimination-data/story/1/2875.html*
3. *https://hi.wikipedia.org/DomesticViolence*
4. *The Wire* . (2020, 02 12). Retrieved from *इण्डिया टुडे के कार्यकारी संपादक गौरव सावंत पर यौन उत्पीड़न का आरोप. http://thewirehindi.com/63098/india-today-gaurav-*

sawant-sexual-harassment-metoo-vidya-krishnan/

5. *World Health Organisation. (2020, 2 19). Retrieved from Valuing Pregnancy: A Matter of Legal Protection: https://www.who.int/whr/2005/chapter3/en/index5.html*
6. *https://satyagrah.scroll.in/article/5106/women-in-india-statistics-international-womens-day*
7. *http://ncrb.gov.in/StatPublications/CII/CII2016/pdfs/Crime%20Statistics%20-%202016.pdf*